पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 301/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 25.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 25.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01-थाना रौनापार, आजमगढ : किशोरी के साथ छेडखानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.09.2024 को वादिनी मुकदमा थाना रौनापार द्वारा तहरीर दिया गया कि वादिनी की पुत्री चाँदपट्टी बाजार से घर वापस आ रही थी कि रास्ते में चालाकपुर ब्यूटी पार्लर के पास अभियुक्त बृजेश गोंड पुत्र श्यामनरायन गोंड साकिन चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने छेड़छाड़ किया तथा मना करने पर गाली गलौज देते हुए मारा पीटा जिसके सम्बन्ध में थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 372/2024 धारा 74, 115(2), 352 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा महिला सम्बन्धित अपराधों को तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.09.2024 को उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बृजेश गोंड पुत्र श्यामनरायन गोंड निवासी ग्राम चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ उम्र करीब 28 वर्ष को चाँदपट्टी पुलिय से समय करीब 09:30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय, का0 अमरनाथ शर्मा, का0 सुमित कुमार यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

02-थाना-कोतवाली : बिजली सप्लाई तार काटकर चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.09.2024 को वादी मुकदमा अनिल कुमार अवर अभियंता 33/11 kv s/s पुरानी जेल आजमगढ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि 33/11 के0वी0 पुरानी जेल टाउन 2 आजमगढ बन्धा तिराहा (कोढिया बस्ती रोड) पर लगे LT CABLE BOX एवं जक्शन वाक्स से केबिल काट कर आज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी (अज्ञात व्यक्तियों द्वारा) कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 495/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.09.2024 को उ0नि0 मेहरे आलम मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक बोरी मे सरकारी बिजली विभाग से सम्बन्धित सामान लेकर कही जाने की फिराक मे काशीराम आवास तिराहा रोड पर खड़ा है, इस सूचना पर उ0नि0 मेहरे आलम मय हमराह द्वारा अभियुक्त संदीप यादव पुत्र श्यामराज निवासी नरफोरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ उम्र 32 वर्ष को 01 बोरी मे पैनल एल्युमिनियु बिजली बिभाग-05 अदद जिसकी लम्बाई चौड़ाई 2 इंच चौड़ा व लगभग 18 इंच लम्बा 4 व एक अदद तार लम्बाई लगगभ 24 इंच के साथ समय करीब 18:00 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से चोरी के सामान की बिक्री से प्राप्त 5000/- रूपये बरामद हुआ गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 मेहरे आलम, का0 अभयराज पासवान, का0 विनय प्रसाद थाना कोतवाली आजमगढ़।

03- थाना-अहरौला,आजमगढ़ : अवैध तमन्चा-कारतूस के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा अवैध शस्त्र रखने वाले, अवैध शस्त्रों का निर्माण व तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनाँक 25.09.2024 को थानाध्यक्ष मनीष पाल मय हमराह द्वारा मंगारीपुर पुलिया के पास से अभियुक्त शमीम पुत्र तसऊबर ग्राम पंवरा गहनी (कौरा गहनी) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 01:40 बजे गिरफ्तार किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 410/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 062/2017 धारा 3/5/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 063/2017 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 081/2017 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 0104/2015 धारा 11 पशु क्रूरता नि0अधि0 थाना फूलपुर आजमगढ।
5. मु0अ0सं0 070/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 088/2019 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0, धारा 307 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 0181/2023 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 0120/2013 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बरदह आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष मनीष पाल, का0 विशाल सोनकर, का0 उमेश गौड़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।